राजभाषा पुस्तिका
2026

प्रकाशक
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

राजभाषा पुस्तिका
2026

प्रकाशक
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

राजभाषा पुस्तिका
2026

हमारे मार्गदर्शक

श्री अमित शाह
गृह मंत्री

श्री नित्यानंद राय
गृह राज्य मंत्री

श्री बंडी संजय कुमार
गृह राज्य मंत्री

संरक्षण

श्रीमती अंशुली आर्या

सचिव, राजभाषा विभाग

मार्गदर्शन

डॉ. निधि पाण्डेय

संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

संकल्पना एवं संपादन

श्री राजेश श्रीवास्तव

संयुक्त निदेशक

सह–संपादक

श्री रघुवीर शर्मा

उप निदेशक

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

राजभाषा विभाग के प्रकाशन

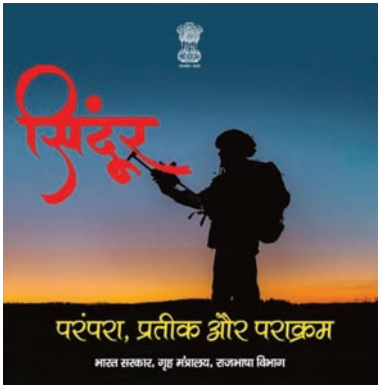

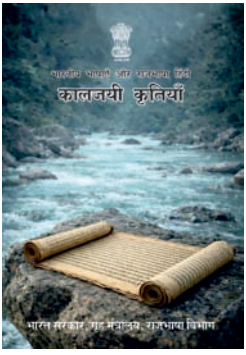

संपादक की कलम से

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर सफलता के नए प्रतिमान गढ़ रहा है। विगत वर्षों में विभाग ने कई ऐसी पहलें की हैं जो अपने स्वरूप में नवाचारी हैं, जन संपर्क को बढ़ाने वाली हैं और जिनके द्वारा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ–साथ प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भाव का वातावरण भी निर्मित हुआ है। विभाग को अपने सभी नवाचारों में माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी का अनुभवी और अनुकूल नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इन सारे नवाचारों के पीछे सचिव, राजभाषा विभाग की प्रेरणा और प्रोत्साहन संजीवनी का काम करते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में विभाग ने राजभाषा संबंधी अपनी अनेक गतिविधियों के साथ–साथ, हिंदी और भारतीय भाषाओं के समन्वय को लेकर अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कई प्रेरणादायी पुस्तकों के प्रकाशन की दिशा में भी कदम रखा है। इससे पूर्व सचिव, राजभाषा विभाग के नेतृत्व में विभाग ने ''भारतीय भाषाएँ और राजभाषा हिंदीः सह अस्तित्व की गाथा'',''भारतीय भाषाएँ और राजभाषा हिंदीः अनुवाद के आयाम'', ''भारतीय भाषाएँ और राजभाषा हिंदीः कालजयी कृतियाँ'',''सिंदूर परपरा, प्रतीक और पराक्रम'' तथा राजभाषा हिंदी से संबंधित एक कॉफी टेबल बुक का प्रकाशन भी किया है।

इस बीच, हमारी संकल्पना में एक और ऐसी पुस्तिका थी जिसमें न केवल राजभाषा से संबंधित समस्त संवैधानिक प्रावधानों, अधिनियम, नियम आदि की संक्षिप्त जानकारी दी गई हो बल्कि विगत कुछ वर्षों के दौरान राजभाषा विभाग द्वारा की गईं समस्त पहलों और गतिविधियों की झलक भी सम्मिलित हो। अन्ततः संकल्पना साकार हुई। उसी क्रम में, विभाग का यह नवीनतम प्रकाशन ''राजभाषा पुस्तिका 2026'' आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पुस्तिका रैडी रैकनर की तरह काम करेगी।

राजभाषा विभाग के उप निदेशक श्री रघुवीर शर्मा जी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने मेरे साथ मिलकर अति अल्प समय में इस पुस्तिका को यह स्वरूप प्रदान किया है। आप सभी इस पुस्तिका को पढ़ें और लाभ उठाएँ। राजभाषा विभाग की ओर से आप सभी को शुभकामनाएँ।

(राजेश श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक

विषय क्रम

अध्याय–1	संवैधानिक प्रावधानों का संक्षिप्त सार	9
अध्याय–2	1950 के दशक में राजभाषा की यात्रा	15
अध्याय–3	राजभाषा अधिनियम, संकल्प एवं नियम का सार	17
अध्याय–4	राजभाषा विभाग की स्थापना और उसका अधिदेश	28
अध्याय–5	राजभाषा संबंधी विभिन्न समितियाँ	30
अध्याय–6	राजभाषा विभाग की विशिष्ट उपलब्धियाँ और पहलें	39
अध्याय–7	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान	49
अध्याय–8	राजभाषा प्रगतिः इतिहास के झरोखे से	51
अध्याय–9	विविध जानकारी	54

अंशुली आर्या, आई.ए.एस.
सचिव
ANSHULI ARYA, I.A.S.
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

संदेश

राजभाषा विभाग के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि विभाग द्वारा 'राजभाषा पुस्तिका 2026' का प्रकाशन किया जा रहा है। हाल ही में, विभाग ने माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में अपनी गतिविधियों में बहुआयामी विस्तार किया है। 2021 में वाराणसी में प्रथम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, 2022 में सूरत में दूसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, 2023 में पुणे में तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, 2024 में नई दिल्ली में चौथा अखिल भारतीय सम्मेलन जो राजभाषा का हीरक जंयती समारोह भी था तथा अभी 2025 में गांधी नगर, गुजरात में सम्पन्न अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिन्होंने सफलता के प्रतिमान गढ़े हैं और इनमें पूरे देश से राजभाषा से जुड़े लोगों की रिकार्ड भागीदारी हुई है। राजभाषा विभाग ने विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली और हैदराबाद में दो स्वर्ण जंयती समारोहों का आयोजन किया। इसी बीच विभाग द्वारा पहली बार केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के लिए दो तकनीकी सम्मेलनों का आयोजन भी किया गया। राजभाषा विभाग के हमारे सभी आयोजनों में हमें माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी का भी सहज और प्रभावशाली नेतृत्व प्राप्त होता है।

विभाग ने हाल ही में भारतीय भाषा अनुभाग की भी स्थापना की है जिसके द्वारा 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही विभाग ने कंठस्थ अनुवाद सॉफ्टवेयर के बहुभाषी रूप 'भारतीः बहुभाषी अनुवाद सारथी' का विकास भी किया है। विभाग की ऐसी ही एक परियोजना है "हिंदी शब्द सिंधु' जो कि एक ऑनलाइन शब्दकोश है और जिसमें फिलहाल 7 लाख से भी ज्यादा शब्दों को समाहित किया जा चुका है।

पिछले कुछ समय से एक ऐसी पुस्तिका की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जिसमें विभाग की उपर्युक्त सभी गतिविधियों का एक संक्षिप्त ब्यौरा तो हो ही, राजभाषा हिंदी के क्रमिक विकास का भी एक संक्षिप्त परिचय हो और कुछ ऐसी जानकारी भी हो जो प्रायः सभी राजभाषा कर्मियों के काम की हो।

प्रसन्नता का विषय है कि 'राजभाषा पुस्तिका 2026' के रूप में हम अपने विचारों को साकार होते देख रहे हैं। आशा है, यह पुस्तिका आप सभी को पसंद आएगी।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

अं आर्या

(अंशुली आर्या)

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : (91) (11) 23438266, फैक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in

डाक टिकट व सिक्के

राजभाषा विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का

हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का और डाक टिकट

अध्याय–1

संवैधानिक प्रावधानों का संक्षिप्त सार

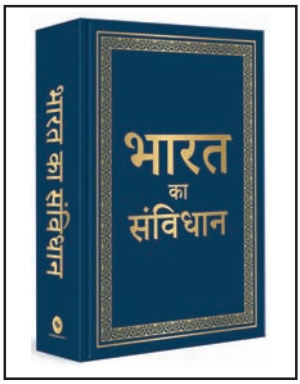

अनुच्छेद 120: (संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा)

(1) संसद् में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।

(2) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।

अनुच्छेद 210: (विधान–मंडल में प्रयोग की जाने वाली राजभाषा)

(1) राज्य के विधान–मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।

(2) जब तक राज्य का विधान–मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की

समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो : परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान–मंडलों के संबंध में, "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" और अरूणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान–मंडलों के संबंध में "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द रखे माने जाएंगे।

भारत का संविधान (भाग–17)

अनुच्छेद 343. (संघ की राजभाषा)

(1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था :

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद् उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात्, विधि द्वारा

(क) अंग्रेजी भाषा का, या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344. (राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति)

(1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग गठित करेंगे जिसमें विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होंगे।

(2) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को–

(क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,

(ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,

(ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

(घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,

(ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।

(3) अपनी सिफारिशें करने में, आयोग अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

(4) एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे।

(5) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

(6) राष्ट्रपति प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेंगे।

अनुच्छेद 345. (राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं)

किसी राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगाः

परंतु जब तक राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346. (एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा)

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी : परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा

हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347. (किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध)

यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए शासकीय मान्यता दी जाए।

अनुच्छेद 348. (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा)

(1) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी,

(2) किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

(3) जहाँ किसी राज्य के विधान–मंडल ने किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस

राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 349. (भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया)

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 350. (व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा)

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 351. (हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश)

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द–भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

*****

अध्याय–2

1950 के दशक में राजभाषा की यात्रा

खेर आयोग, 1955

राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 344 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून, 1955 को श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में हिन्दी के विकास एवं प्रयोग के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक राजभाषा आयोग नियुक्त किया। इसे खेर आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने कुछ सिफारिशें करते हुए 31 जुलाई, 1956 को अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया।

संसदीय समिति, 1957

राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जाँच करके उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए सितंबर,1957 में एक संसदीय समिति का गठन किया गया। 30 सदस्यों वाली (20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से) इस संसदीय समिति के अध्यक्ष तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पंत थे। उनकी अध्यक्षता में समिति ने 8 फरवरी,1959 को राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति की रिपोर्ट की मुख्य बातें इस प्रकार थीं–

I. व्यावहारिक दृष्टि से यह बात आवश्यक हो गई है कि संघ के प्रयोजनों के लिए कोई एक भारतीय भाषा काम में लाई जाए। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि यह परिवर्तन किसी नियत तारीख को ही हो। यह परिवर्तन धीरे–धीरे इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कोई गड़बड़ी न हो और कम–से–कम असुविधा हो। **(राष्ट्रपति का आदेश, 1960 / क्र.स.– '1ख')**

II. 1965 तक अंग्रेजी मुख्य राजभाषा और हिन्दी सहायक राजभाषा रहनी चाहिए। 1965 के उपरान्त जब हिन्दी संघ की मुख्य राजभाषा हो जाएगी, अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में ही चलती रहनी चाहिए। **(राष्ट्रपति का आदेश,1960/क्र.स.–'1ग')**

III. संघ के प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर इस समय कोई रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। **(राष्ट्रपति का आदेश,1960/क्र.स.–'1घ')**

IV. सरल और सुबोध शब्द काम में लाए जाएं। **(राष्ट्रपति का आदेश,1960/क्र.स.–'1ड.')**

राष्ट्रपति का आदेश, 1960

पंत समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 344 (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के कार्यालयों के कामकाज में हिंदी को प्रतिस्थापित किए जाने के लिए प्रारंभिक उपायों के संबंध में 27 अप्रैल, 1960 को एक आदेश जारी किया। इस आदेश में शब्दावली निर्माण के लिए स्थायी आयोग बनाने, केंद्रीय अधिनियमों, नियमों आदि के हिंदी अनुवाद कराने तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था कराने आदि के बारे में निदेश दिया गया। समिति की इस राय पर भी सहमति जताई कि संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर इस समय कोई रोक न लगाई जाए। तद्नुसार गृह मंत्रालय एक योजना कार्यक्रम तैयार करे और उसे अमल में लाने की आवश्यक कार्रवाई करे।

****

अध्याय–3

राजभाषा अधिनियम, संकल्प एवं नियम का सार

राजभाषा अधिनियम, 1963
(यथासंशोधित,1967 एवं 2020)

राजभाषा अधिनियम 10 मई, 1963 को लागू हुआ। इसे मूल रूप से राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर (rajbhasha.gov.in) देखा जा सकता है। इसमें दो बार संशोधन किया गया है, पहली बार 1967 में और दूसरी बार 2020 में। इसमें कुल 9 धाराएं थीं लेकिन वर्ष 2020 में धारा–9 का लोप होने से अब केवल 8 धाराएं रह गई हैं। इस अधिनियम कुछ मुख्य धाराएं इस प्रकार हैं–

धारा 3– संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना–

इस धारा के अनुसार संविधान के प्रारम्भ से पंद्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी, हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही,

(क) संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी ; तथा

(ख) संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी।

परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगीः परन्तु यह और कि जहां किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिन्दी में ऐसे पत्रादि के साथ–साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा :

इस धारा की 5 उपधाराएं हैं। उपधारा (3) में 14 ऐसे दस्तावेज़ों का उल्लेख किया गया है जिन्हें हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों में ही जारी किया जाना अपेक्षित है। ये दस्तावेज़ हैं–

(1) संकल्प (Resolution),

(2) साधारण आदेश (General Orders),

(3) नियम (Rules)

(4) अधिसूचनाएं (Acts)

(5) प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन (Administrative or other Reports)

(6) प्रेस विज्ञप्तियाँ (Press Communiques)

(7) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन (Administrative and other reports laid before a House or both the Houses of Parliament)

(8) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए राजकीय कागज–पत्र (Official papers laid before a House or both the Houses of Parliament)

(9) संविदाएं (Contracts)

(10) करार (Agreements)

(11) अनुज्ञप्तियाँ (Licences)

(12) अनुज्ञापत्र (Permits)

(13) सूचनाएं (Notices) और

(14) निविदा–प्रारूप (Forms of Tenders)।

उपधारा (5) यह प्रावधान करती है कि इस धारा के सारे उपबन्ध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा, जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात् ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

धारा 4– राजभाषा के सम्बन्ध में समिति –

इस धारा की उपधारा (1) के अंतर्गत ही संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है जबकि उपधारा (2) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे। उपधारा (3) एवं (4) के अनुसार, इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करे और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद् के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा और इसके पश्चात

प्राप्त अभिमतों पर विचार करने के पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाले जा सकेंगे।

धारा 7– उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिन्दी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग–

इस धारा के अंतर्गत, किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहाँ कोई निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहाँ उसके साथ–साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

धारा 8– नियम बनाने की शक्ति –

इस धारा के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।

धारा 9– जम्मू–कश्मीर राज्य के संघ राज्य क्षेत्र बन जाने के बाद, 18 मार्च, 2020 के आदेश सं.का.आ.–1123(अ) के माध्यम से धारा–9 का लोप कर दिया गया है।

*****

राजभाषा संकल्प, 1968

संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार, हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है। दूसरी ओर 1960 के राष्ट्रपति जी के आदेश में यह निर्देश दिया गया कि "गृह मंत्रालय एक योजना कार्यक्रम तैयार करे और उसे अमल में लाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे।" **(राष्ट्रपति का आदेश,1960/क्र.स.–'14')**

तदनुरूप, 18 जनवरी, 1968 को राजभाषा संकल्प जारी किया गया जिसमें यह संकल्प लिया गया कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक **गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा** और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत **वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट** संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

तभी से इस संकल्प के अनुरूप राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है और हिंदी के प्रचार–प्रसार एवं प्रयोग के लिए किए गए उपायों एवं प्रगति की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती है।

इस संकल्प में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रि–भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किए जाने का भी उल्लेख किया गया है।

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976

(यथा संशोधित 1987, 2007 तथा 2011)

राजभाषा नियम, 1976 को 17 जुलाई, 1976 में प्रकाशित किए गए। इन नियमों को मूल रूप से राजभाषा विभाग की वेबसाइट (https://rajbhasha.gov.in/hi/ol_rules_1976) पर देखा जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण नियमों का सार इस प्रकार हैं–

नियम 3– राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि–

(1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि **असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में** होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से––

(क) क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि **सामान्यतया हिन्दी में** होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगाः परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी

विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे ;

(ख) क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि **हिन्दी या अंग्रेजी में** भेजे जा सकते हैं।

(3) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि **अंग्रेजी में** होंगे।

(4) उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र 'ग' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। परन्तु हिन्दी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर अवधारित करे।

नियम 4. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि–

(क) केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी

या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय–समय पर अवधारित करे;

(ग) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिन्दी में होंगे;

(घ) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर अवधारित करे ;

(ङ) क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं; परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने

की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर अवधारित करे ;

परन्तु जहां ऐसे पत्रादि––

(i) क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' में किसी कार्यालय को संबोधित हैं वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा;

(ii) क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित हैं वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा; परन्तु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

नियम 5– हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर–

हिन्दी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे।

नियम 6– हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग–

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा।

नियम 7– आवेदन, अभ्यावेदन आदि–

(1) कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

(2) जब कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों, तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

नियम 8 (4)– केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहाँ ऐसे कर्मचारियों द्वारा,जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा।

9. हिन्दी में प्रवीणता–

यदि किसी कर्मचारी ने–

(क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है;या

(ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या

(ग) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

10. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान–

(1) (क) यदि किसी कर्मचारी ने–

(i) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या

(ii) केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीक्षा योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी

विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

(ख) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(4) केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे;

नियम 12– अनुपालन का उत्तरदायित्व–

केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे।

*****

अध्याय–4

राजभाषा विभाग की स्थापना और उसका अधिदेश

राजभाषा संबंधी सांविधानिक और कानूनी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने और संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में 26 जून, 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार, राजभाषा विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं–

1. संविधान में राजभाषा से संबंधित उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) के उपबंधों का कार्यान्वयन, उन उपबंधों को छोड़कर जिनका कार्यान्वयन किसी अन्य विभाग को सौंपा गया है।

2. किसी राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन।

3. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना और पत्र–पत्रिकाओं और उससे संबंधित अन्य साहित्य के प्रकाशन सहित संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए केंद्रीय उत्तरदायित्व।

4. संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों में समन्वय, जिनमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्य विवरण, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उनके लिए

अपेक्षित उपस्कर (मानकीकृत लिपि सहित) शामिल हैं।

5. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संवर्ग प्रबंधन।

6. केंद्रीय हिंदी समिति से संबंधित मामले।

7. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित हिंदी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय।

8. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित मामले।

9. हिंदी शिक्षण योजना सहित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित मामले।

10. क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से संबंधित मामले।

11. संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित मामले।

अध्याय–5

राजभाषा संबंधी विभिन्न समितियाँ

केंद्रीय हिंदी समिति

माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में समन्वय स्थापित करने के आशय से वर्ष 1967 में हिंदी के व्यापक स्तर पर प्रचार तथा प्रगामी प्रयोग के लिए किया गया था। इस समिति की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं–

- केंद्रीय हिंदी समिति राजभाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति
- समिति की पहली बैठक वर्ष 1967 में जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने की थी
- समिति का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष
- वर्तमान समिति का गठन 21 जनवरी, 2025 को
- वर्तमान समिति में कुल 21 (इक्कीस) सदस्य
- समिति में प्रधान मंत्री जी के अतिरिक्त 09 माननीय केंद्रीय मंत्री (गृह मंत्री जी उपाध्यक्ष, गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग के प्रभारी, गृह राज्य मंत्री–सदस्य), 06 राज्यों के मुख्य मंत्री तथा 04 संसद सदस्य
- अब तक इसकी 32 बैठकों का आयोजन
- 32वीं बैठक माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में 04.11.2024 को सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में

- राजभाषा विभाग के गठन संबंधी निर्णय केंद्रीय हिंदी समिति की 09 अप्रैल, 1975 को आयोजित 10वीं बैठक में ही लिया गया।

(केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक)

हिंदी सलाहकार समिति

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियां गठित हैं।

हिंदी सलाहकार समितियाँः गठन के मार्गदर्शी सिद्धांत (संक्षेप में)

- वर्ष में 2 बैठकें
- अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री द्वारा
- राजभाषा विभाग के/की सचिव पदेन सदस्य के रूप में
- कार्यकाल 3 वर्ष
- सामान्यतः अधिकतम 30 सदस्य
- अधिकतम 15 गैर सरकारी सदस्यः
    - 4 संसद सदस्य– दो राज्यसभा से और दो लोकसभा से
    - 2 संसद सदस्य– संसदीय राजभाषा समिति से
    - 4 सदस्य– संबंधित मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री द्वारा नामांकित
    - 3 सदस्य– राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामांकित

निम्नलिखित 6 संस्थाओं में किन्हीं दो संस्थाओं के 1–1 प्रतिनिधि

(1) अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ से सम्बद्ध 20 संस्थाओं में से किसी एक से कोई एक प्रतिनिधि

(2) नागरी प्रचारिणी सभा

(3) राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा

(4) हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

(5) केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, नई दिल्ली और

(6) विश्व हिंदी परिषद, नई दिल्ली

(अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कृपया 28 अक्तूबर, 2024 के का. ज्ञा. सं. 11011/03/2024–रा.भा. (अनु.) का संदर्भ लें)

संसदीय राजभाषा समिति

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जिस तारीख को अधिनियम की धारा 3 प्रवृत्त होती है (अर्थात 26 जनवरी,1965), उससे 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, राजभाषा के संबंध में एक समिति गठित की जाएगी। इसी धारा के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया।

- ❖ समिति का गठन वर्ष 1976 में
- ❖ परंपरागत रूप से गृहमंत्री संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष
- ❖ समिति में कुल 30 सदस्य– 20 संसद सदस्य लोकसभा से और 10 राज्यसभा से
- ❖ इसकी चार उप–समितियाँ हैं– पहली, दूसरी, तीसरी उप–समिति

और आलेख एवं साक्ष्य उप–समिति

- ❖ समिति ने राष्ट्रपति जी को अब तक सौंपे अपने प्रतिवेदन के 13 खंड
- ❖ 13वां खंड 16 फरवरी, 2026 को राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत
- ❖ इनमें से 9 पर राष्ट्रपति के आदेश जारी

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए खंड

❖ प्रथम खंड

समिति के प्रतिवेदन का पहला खंड राष्ट्रपति जी को जनवरी 1987 में प्रस्तुत किया गया था। इस खंड पर राष्ट्रपति जी के आदेश राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 30 दिसम्बर, 1988 के संकल्प संख्या 1/20012/1/87–रा.भा. (क–1) के अंतर्गत जारी किए गए।

❖ दूसरा खंड

दूसरा खंड राष्ट्रपति जी को जुलाई, 1987 में प्रस्तुत किया गया। समिति के प्रतिवेदन के दूसरे खंड पर राष्ट्रपति जी के आदेश राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 29 मार्च, 1990 के संकल्प संख्या– 12015/34/87–रा.भा.(तकनीकी)) के अंतर्गत जारी किए गए।

❖ तीसरा खंड

समिति के प्रतिवेदन का तीसरे खंड पर राष्ट्रपति जी के आदेश राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 04 नवंबर, 1991 के

संकल्प संख्या– 13015/01/91–राजभाषा(घ) के अंतर्गत जारी किए गए।

❖ **चौथा खंड**

प्रतिवेदन का चौथा खंड राष्ट्रपति जी को नवम्बर 1989 में प्रस्तुत किया गया और इस पर राष्ट्रपति जी के आदेश राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 28 जनवरी, 1992 के संकल्प संख्या– 12019/10/91–राजभाषा(भा.) के अंतर्गत जारी किए गए।

❖ **पाँचवाँ खंड**

पांचवाँ खंड राष्ट्रपति जी को मार्च 1992 में प्रस्तुत किया गया। समिति के प्रतिवेदन के इस खंड पर राष्ट्रपति जी के आदेश राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 24 नवम्बर, 1998 के संकल्प संख्या– I/20012/4/92 रा.भा.(नी–I) के अंतर्गत जारी किए गए।

❖ **छठा खंड**

प्रतिवेदन का छठा खंड नवम्बर, 1997 में राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया जिस पर राष्ट्रपति जी के आदेश राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 17 सितम्बर, 2004 के संकल्प संख्या– 12021/02/2003–रा.भा.(का.2) के अंतर्गत जारी किए गए।

❖ **सातवाँ खंड**

दिनांक 3 मई 2002 को संसदीय समिति ने माननीय राष्ट्रपति जी को समिति का सातवाँ खंड समर्पित किया। इस खंड पर

राष्ट्रपति जी के आदेश राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 13 जुलाई, 2005 के संकल्प संख्या– 1101/5/2003–रा.भा.(अनु.) के अंतर्गत जारी किए गए।

❖ **आठवां खंड**

समिति ने प्रतिवेदन का आठवां खंड दिनांक 16 अगस्त 2005 को राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन के इस खंड पर राष्ट्रपति जी के आदेश राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 02 जुलाई, 2008 के संकल्प संख्या– 1/20012/7/2005–रा.भा.(नीति–1) के अंतर्गत जारी किए गए।

❖ **नौवां खंड**

समिति ने अपने प्रतिवेदन का नौवा खंड माननीय राष्ट्रपति जी को दिनांक 02.06.2011 को प्रस्तुत किया था। समिति के प्रतिवेदन के इस खंड पर राष्ट्रपति जी के आदेश राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 31.03.2017 के संकल्प संख्या– 20012/01/2017–रा.भा.(नीति) के अंतर्गत जारी किए गए।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत पिछले चार खंड जिनपर राष्ट्रपति जी के आदेश होने हैं–

❖ समिति ने अपने प्रतिवेदन का 10वां खंड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया– 09 सितंबर, 2021

❖ समिति ने अपने प्रतिवेदन का 11वां खंड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया– 09 सितंबर, 2022

❖ समिति ने अपने प्रतिवेदन का 12वां खंड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया– 04 सितंबर, 2023

❖ समिति ने अपने प्रतिवेदन का 13वां खंड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया– 16 फरवरी, 2026

केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

❖ केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के/की अध्यक्ष सचिव, राजभाषा विभाग हैं

❖ मंत्रालयों/विभागों में संयुक्त सचिव (प्रशासन) अथवा राजभाषा का कार्य देख रहे प्रभारी संयुक्त सचिव इसके पदेन सदस्य

❖ वर्ष में एक बैठक करना अपेक्षित

❖ बैठक में प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा वर्ष भर में किए गए राजभाषा संबंधी कार्यों की समीक्षा

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

❖ राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन और बेहतर तालमेल बनाए रखने की दृष्टि से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन

❖ किसी नगर में केंद्र सरकार के 10 या अधिक कार्यालय होने पर इसका गठन

❖ देश के विभिन्न नगरों में 31 मार्च, 2026 तक 575 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ कार्यरत

❖ नगर विशेष में स्थित केंद्रीय कार्यालयों के विभागाध्यक्ष इसके सदस्य

❖ वरिष्ठतम अधिकारी को नामित किया जाता है इसका अध्यक्ष

- ❖ वर्ष में 2 बैठकें करना अपेक्षित
- ❖ पांच देशों में भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन – मॉरीशस (पोर्टलुई), दुबई, लंदन, फिजी एवं सिंगापुर

विभागीय कार्यान्वयन समिति

- ❖ प्रत्येक मंत्रालय/विभाग एवं कार्यालय आदि में राजभाषा हिंदी के कामकाज की त्रैमासिक प्रगति की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन और इसकी बैठकों का आयोजन
- ❖ मंत्रालय/विभाग में संयुक्त सचिव (प्रशासन)/राजभाषा प्रभारी संयुक्त सचिव होते हैं इसके अध्यक्ष
- ❖ बैठक तीन माह में एक बार

*****

अध्याय–6

राजभाषा विभाग की विशिष्ट उपलब्धियाँ और पहलें

हाल ही में, विभाग ने माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रेरक मार्गदर्शन में अपनी गतिविधियो में बहुआयामी विस्तार किया है।

1. हिंदी दिवस एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

हिंदी के समुचित विकास तथा राजभाषा नीति के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हिंदी दिवस एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों के आयोजन की एक श्रृंखला विभाग द्वारा आरंभ की गई है। परंपरागत रूप से हिंदी दिवस (14 सितंबर) का आयोजन दिल्ली में ही किया जाता रहा है। वर्ष 2022 से हिंदी दिवस और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का संयुक्त आयोजन देश के विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है।

1. (क) पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशन में वर्ष 2021 में पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 13–14 नवंबर, 2021 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया गया जिसमें देश भर से 2500 से ज्योदा हिंदी सेवियों ने प्रतिभागिता की। विभिन्न विषयों पर आयोजित सत्रों में राजभाषा हिंदी के विकास एवं प्रचार–प्रसार संबंधी संभावनाओं पर विचार–विमर्श किया गया।

1. (ख) हिंदी दिवस एवं दूसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में पहली बार हिंदी दिवस तथा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन 14 व 15 सितंबर, 2022 को गुजरात राज्य के सूरत शहर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में किया गया। इस सम्मेलन में पूरे देश से केंद्र सरकार के 10,000 से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों और हिंदी सेवियों ने प्रतिभागिता की।

1. (ग) हिंदी दिवस एवं तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

14 व 15 सितंबर, 2023 को हिंदी दिवस तथा तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, बालेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में किया गया। इस सम्मेलन में 9000 से अधिक हिंदी प्रेमी उपस्थित हुए। इन सभी अवसरों पर

राजभाषा कीर्ति एवं राजभाषा गौरव पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

1. (घ) हिंदी दिवस एवं चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

हिंदी दिवस तथा चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन वर्ष 2024 में भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस हीरक जयंती समारोह के दौरान एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया गया। माननीय गृह मंत्री जी ने इनका लोकार्पण किया। इस सम्मेलन में लगभग 8000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

1. (ङ) हिंदी दिवस एवं पाँचवां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हिंदी दिवस तथा पाँचवां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन 14–15 सितंबर, 2025 को गाँधीनगर (गुजरात) के महात्मा मंदिर में किया गया। इसमें भी 7000 से अधिक हिंदी प्रेमियों और हिंदी सेवियों ने प्रतिभागिता की।

1. (च) राजभाषा विभाग की स्वर्ण जयंती के दो समारोहों का आयोजन

राजभाषा विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, एक राजभाषा सम्मेलन का भव्य आयोजन भारत मंडपम में हुआ। 26 जून, 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, 26 जून, 2025 को ''राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती'' समारोह का आयोजन किया गया। यह भी एक प्रकार से अखिल भारतीय सम्मेलन जैसा ही आयोजन था। इसकी अध्यक्षता माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने की। इस अवसर पर

उन्होंने 50 रुपए के एक स्मारक सिक्के का लोकार्पण किया। इसी उपलक्ष्य में, दूसरा स्वर्ण जयंती समारोह दक्षिण भारत में हैदराबाद के जीएमसी बालयोगी इंडोर स्टेडियम में 11 जुलाई, 2025 को आयोजित किया गया। ये दोनों सम्मेलन अत्यन्त सफल और सार्थक रहे।

1. (छ) केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के लिए दो तकनीकी सम्मेलन

माननीय गृह राज्य मंत्री जी की प्रेरणा से केंद्रीय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए तकनीकी सम्मेलन/संगोष्ठी के आयोजन की एक अनोखी पहल भी की गई। यह पहल थी केवल केंद्रीय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए तकनीकी सम्मेलन/संगोष्ठी का आयोजन। राजभाषा संवर्ग के लिए पहली बार एक सम्मेलन 18 मई, 2022 को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले कुछ राजभाषा अधिकारियों को राजभाषा सम्मान से भी सम्मानित किया गया। अगले वर्ष एक और तकनीकी सम्मेलन 06 जून, 2023 को एक बार फिर से अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली के सभागार में आयोजित किया गया।

2. भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना

राजभाषा विभाग के अधीन भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना संविधान द्वारा दिए गए दायित्वों को पूरा करने, केंद्र सरकार की नीतियों को उनकी मूल भावना सहित जन–जन तक पहुंचाने तथा केंद्र और राज्यों के मध्य पत्राचार को अधिक प्रभावी और सशक्त बनाने के उद्देश्य से दिनांक 14 सितंबर, 2024 को की गई। भारतीय भाषा अनुभाग ने दिनांक 06 जून, 2025 से वास्तविक रूप में बहुभाषी अनुवाद कार्य शुरू किया है। यह अनुभाग हमारी भाषाई विविधता के संरक्षण और संवर्धन

की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम है, जो न केवल राजभाषा हिंदी बल्कि राज्यों की आधिकारिक भाषाओं को भी समान महत्व देता है। यह राजभाषा विभाग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका प्रयोजन एक ऐसा तंत्र विकसित करना है जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच पत्राचार राज्य की प्रथम आधिकारिक भाषा (First Official Language) में भी हो सके। अभी इसमें संविधान की आठवीं अनुसूची की 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सार्वभौमिक व्यवस्था विकसित की गई है। अनुवाद की गुणवत्ता एवं जांच कार्य हेतु 45 भाषायी पद जिसमें 15 भारतीय भाषाओं के लिए प्रत्येक भाषा के 02 वरिष्ठ अनुवादक एवं 01 सहायक निदेशक के अस्थायी पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में गृह मंत्रालय में प्राप्त होने वाले सभी पत्रों के उत्तर हिंदी–अंग्रेजी के साथ–साथ संबंधित राज्य की भाषा में भी दिए जा रहे हैं।

3. भारतीः बहुभाषी अनुवाद सारथी

विभाग ने स्मृति एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर– कंठस्थ का निर्माण सी–डेक पुणे की सहायता से कराया था। इसके बीटा संस्करण का लोकार्पण 18 अगस्त, 2018 को मॉरीशस में तत्कालीन माननीय गृह राज्य मंत्री जी द्वारा किया गया था। इसके पश्चात कंठस्थ विकास की कई प्रक्रियाओं और चरणों से गुजरा। आज यह सॉफ्टवेयर माननीय प्रधानमंत्री जी के "आत्मनिर्भर भारत" एवं स्थानीय के लिए मुखर ("Vocal for Local") का बेहतरीन उदाहरण है। यह अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में किए जाने वाले अनुवाद में सहायता प्रदान करता है। इसमें वाक्यों के अनुवाद करने के लिए मेमोरी के अलावा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग किया जाता है। इसका ई–ऑफिस से भी इंटीग्रेशन कर दिया गया है।

कंठस्थ के उन्नत संस्करण "कंठस्थ–2.0" की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ इस प्रकार थीं:–

- सभी के लिए निःशुल्क
- न्यूरल मशीन अनुवाद (NMT)
- बोली से पाठ अर्थात स्पीच टू टेक्स्ट (एसटीटी) (प्रयोक्ता बोल कर टंकण कर सकते हैं)
- स्वचालित बोट चैट सेवा (यह "क्या मैं आपकी मदद करूँ" जैसी सहायता विंडो सेवा)
- एक क्लिक पर Instant Translation की सुविधा

बहुभाषी हो जाने के कारण, अब कंठस्थ को **"भारती– बहुभाषी अनुवाद सारथी"** सॉफ्टवेयर में समाहित कर दिया गया है। भारती– बहुभाषी अनुवाद सारथी" में इंस्टेंट अनुवाद की सुविधा बिना लॉगिन और पासवर्ड के भी प्रदान कर दी गई है। https://bharati.rajbhasha.gov.in/ पर उपलब्ध भारती सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुल 15 भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवाद की सुविधा प्रदान की गई है। ये 15 भाषाएं इस प्रकार हैं– तेलुगू, असमी, गुजराती, कश्मीरी, अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, बंगला, मणिपुरी, मिजो और कोंकणी।

4. हिंदी शब्द सिंधु का निर्माण

माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, राजभाषा विभाग ने एक डिजिटल शब्दकोश का निर्माण किया है। इसमें स्वास्थ्य, तकनीक, मीडिया, विधि आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के शब्दों को शामिल किया गया है। विभिन्न भारतीय

भाषाओं के भी प्रचलित शब्दों को समाहित करते हुए 'हिंदी शब्द सिंधु' नामक हिंदी से हिंदी बृहत शब्दकोश का निर्माण एक अनूठी पहल है। इसे https://hindishabdsindhu.rajbhasha.gov.in/ पर देखा जा सकता है। इस डिजिटल शब्दकोश से हिंदी के तकनीकी सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके पहले संस्करण का लोकार्पण गृह मंत्री जी ने सूरत के अखिल भारतीय सम्मेलन के अवसर पर किया। इसमें अब तक 7 लाख से भी ज्यादा शब्दों को समाहित किया जा चुका है। इसमें बोलकर शब्द खोजने की क्षमता सहित कई आधुनिक फीचर भी उपलब्ध हैं। इसका निरंतर विकास किया जा रहा है।

अध्याय–7

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में अनुवाद की महत्वपूर्ण और अपरिहार्य आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार के प्रशासनिक ढांचे में अनुवाद की सुनियोजित व्यवस्था आवश्यक थी। वर्ष 1960 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना करके असांविधिक साहित्य के हिंदी अनुवाद का कार्य आरंभ किया गया। लेकिन चूंकि राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का दायित्व गृह मंत्रालय के अधीन था, इसलिए केंद्र सरकार के असांविधिक प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद का दायित्व भी गृह मंत्रालय को सौंपा गया। तदनुसार 1 मार्च, 1971 को गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई और केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि के असांविधिक प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार्य केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंपा गया। वर्तमान में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है।

अनुवाद में सरलता, सहजता और शब्दावली की एकरूपता सुनिश्चित करने तथा अनुवाद–कौशल विकसित करने के लिए वर्ष 1973 से अनुवाद प्रशिक्षण का कार्य भी अनुवाद ब्यूरो को सौंपा गया। इस प्रकार ब्यूरो अनुवाद प्रशिक्षण देने का कार्य भी करता है। केंद्र सरकार के स्तर पर असांविधिक प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद और अनुवाद कौशल–विकास के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो भारत सरकार की एकमात्र मानक संस्था है।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

संवैधानिक उपबंधों के अनुपालन में केंद्रीय सरकार के हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का कार्य सर्वप्रथम शिक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई, 1952 में प्रारम्भ किया गया। राष्ट्रपति द्वारा गृह मंत्री को संबोधित 12 जून, 1955 के पत्र में दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का कार्य गृह मंत्रालय को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार अक्तूबर, 1955 से गृह मंत्रालय के तत्वावधान में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कार्यालय समय में हिंदी कक्षाएँ चलाई जा रही हैं। सन 1960 में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया।

वर्ष 1974 से केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा उसके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाले अथवा नियंत्रणाधीन निगमों, निकायों, कंपनियों, उपक्रमों, बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए भी हिंदी भाषा, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। वर्ष 1975 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना हुई और तब हिंदी शिक्षण योजना को राजभाषा विभाग के अधीन कर दिया गया। हिंदी शिक्षण योजना के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एवं गुवाहाटी में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय हैं। शिक्षण कार्यक्रम पूर्णकालिक केंद्रों के साथ–साथ अंशकालिक केंद्रों पर भी संचालित किए जा रहे हैं।

अध्याय–8

राजभाषा प्रगतिः इतिहास के झरोखे से

- 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का संविधान सभा का निर्णय।
- 26.01.1950– भारत का संविधान लागू हुआ। तद्नुसार उसमें किए गए भाषा संबंधी प्रावधान (अनुच्छेद–120, 210, 343 से 351 तक) लागू हुए।
- 1952 –मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत हिंदी शिक्षण योजना का प्रारंभ।
- जुलाई, 1952 –हिंदी शिक्षण योजना के अतंर्गत प्रशिक्षण आरंभ। 1955 में यह योजना गृह मंत्रालय को सौंपी गयी।
- 1955 – हिंदी का मानकीकरण।
- 07 जून, 1955 –खेर आयोग का गठन।
- 31 जुलाई, 1956 –आयोग ने अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया।
- सितंबर, 1957– खेर आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन।
- 8 फरवरी,1959– समिति द्वारा राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत
- 27 अप्रैल, 1960– संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति जी के आदेश।

- 1960 – आशुलिपि प्रशिक्षण आरंभ। 1974 से उपक्रमों के लिए भी प्रशिक्षण अनिवार्य।
- 1960 – शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय का गठन।
- 1961 – तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन
- 1967 – माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया। यह समिति सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में सर्वोच्च समिति है।
- 01 मार्च 1971 – केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना।
- 26 जून, 1975 – राजभाषा विभाग की स्थापना।
- जनवरी 1976 – संसदीय राजभाषा समिति का गठन
- 09 सितंबर, 1981 – केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का गठन
- 1987 अंडमान निकोबार द्वीप समूह को "ख" क्षेत्र से "क" क्षेत्र में सम्मिलित किया गया।
- 2007 छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड को "क" क्षेत्र में सम्मिलित किया गया।
- 2011 दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली को "ग" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र में सम्मिलित किया गया।
- 1990 – पत्राचार से भाषा प्रशिक्षण आरंभ।
- 2015 – पारंगत कार्यक्रम आरंभ।
- 2018 – कंठस्थ 1.0 का लोकार्पण।

- 14 सितंबर, 2022 – कंठस्थ 2.0 का लोकार्पण।
- फरवरी, 2023 कंठस्थ 2.0 के मोबाइल ऐप का लोकार्पण।
- 18 मई, 2022– केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के लिए पहला तकनीकी सम्मेलन।
- 06 जून, 2023 – केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के लिए दूसरा तकनीकी सम्मेलन।
- 13–14 नवंबर, 2021 – वाराणसी, उत्तर प्रदेश में पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन।
- 14–15 सितंबर, 2022 – सूरत, गुजरात में हिंदी दिवस एवं दूसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन।
- 14–15 सिंतबर, 2023 – पुणे, महाराष्ट्र में हिंदी दिवस एवं तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन।
- 14–15 सिंतबर, 2024 – भारत मंडपम्, दिल्ली में हिंदी दिवस एवं चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन।
- 14–15 सिंतबर, 2025 – महात्मा मंदिर, गाँधीनगर, गुजरात में हिंदी दिवस एवं पाँचवां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन।
- 26 जून, 2025– भारत मंडपम, नई दिल्ली में राजभाषा विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह
- 11 जुलाई, 2025 – जीएमसी बालयोगी इनडोर स्टेडियम में राजभाषा विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दूसरा स्वर्ण जयंती समारोह

*****

अध्याय–9

विविध जानकारी

I. संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाएं

1. असमिया	7. गुजराती	13. बांग्ला	19. संथाली
2. उड़िया	8. डोगरी	14. बोड़ो	20. संस्कृत
3. उर्दू	9. तमिल	15. मणिपुरी	21. सिंधी
4. कन्नड़	10. तेलुगू	16. मराठी	22. हिंदी
5. कश्मीरी	11. नेपाली	17. मलयालम	–
6. कोंकणी	12. पंजाबी	18. मैथिली	–

II. शास्त्रीय भाषाएं

1. तमिल 2004 में
2. संस्कृत 2005 में
3. कन्नड़ 2008 में
4. तेलुगु 2008 में
5. मलयालम 2013 में
6. ओडिया 2014 में
7. बंगाली 2024 में

8. असमिया 2024 में

9. मराठी 2024 में

10. पालि 2024 में

11. प्राकृत 2024 में

III. वे उच्च न्यायालय जिनकी कार्यवाहियों और निर्णयों, डिक्री अथवा आदेशों में हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत है :

i. राजस्थान (1950 से)

ii. उत्तर प्रदेश (1969 से)

iii. मध्य प्रदेश (1971 से)

iv. बिहार (1972 से)

*****

पाठक का पन्ना

राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित
भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
एन डी सी सी -II भवन, नई दिल्ली-110001
के लिए इन्दु कार्ड्स एण्ड ग्राफिक्स. द्वारा मुद्रित